विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–02 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
02. (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों से नकली दवाओं के कितने मामले प्रकाश में आये हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?	प्रदेश में विगत तीन वर्षों में नकली दवाओं के कुल 371 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें 222 प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों/फर्मों के विरूद्ध मा0 सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया है तथा शेष प्रकरणों में परिवाद दाखिल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ख) प्रदेश में नकली दवाओं की रोक–थाम किये जाने के संबंध में क्या नीति व योजना हैं?	प्रदेश में नकली दवाओं की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के अन्तर्गत नकली दवाओं के रोकथाम के लिए नमूनें एकत्रित करना एवं उक्त के विश्लेषण के उपरान्त दोषी फर्मों/व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा मा0 सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने का प्राविधान है। विभाग द्वारा नकली दवाओं की रोकथाम के लिए समय–समय पर प्रभावी योजना बनाकर कार्यवाही की जाती है, जिसमें प्रत्येक औषधि निरीक्षक द्वारा गोपनीय सूचना एवं संदिग्धता के आधार पर प्रत्येक माह कम से कम 15 नमूने संकलित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक माह मण्डल पर तैनात सहायक आयुक्त (औषधि) द्वारा की जाती है।
(ग) उक्त नीति तथा योजना का कितना लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है?	उक्त नीति तथा योजना का सम्पूर्ण लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।